भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2159

13.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

ईवी पारितंत्र को बढ़ावा दिया जाना

2159 # श्री नीरज डांगी:

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्री नरेश बंसल:

श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक:

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

डा. कल्पना सैनी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने भारत के विद्युत वाहन (ईवी) पारितंत्र के संवर्धन के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और सतत विकास को बढ़ावा देने में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्यमंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) : भारी उद्योग मंत्रालय ने **आत्मनिर्भर भारत** और **विकसित भारत 2047** के दृष्टिकोण के अनुरुप स्थानीय विनिर्माण का समर्थन कर भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारितंत्र को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें तैयार की हैं:

i. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)** : देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए **पीएम ई-ड्राइव स्कीम** को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस स्कीम का परिव्यय 01.04.2024 से 31.03.2026 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये है। 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की 06 माह की अवधि के लिए लागू **इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम** (ईएमपीएस)-2024 को **पीएम ई-ड्राइव स्कीम** में शामिल कर लिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रकों, ई-एम्बुलेंस और ई-बसों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। इस स्कीम के तहत चार्जिंग अवसंरचना विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

ii. **ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई-ऑटो) स्कीम:** सरकार ने 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पीएलआई-ऑटो स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को मंजूरी दी।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई-एसीसी को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। इस स्कीम में 50 गीगावॉट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी निर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

iv. **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम) स्कीम, चरण-II (फेम-II) :** फेम-II को 11,500 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता के साथ 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था। फेम-II के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेंबलियों/उप-असेंबलियों और पुर्जों/उप-पुर्जों के घरेलू विनिर्माण के उद्देश्य से शुरु किया गया था ताकि घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि हो।

v. **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम:** 28 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) से चूक की स्थिति में, ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

vi. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम :** इस स्कीम को भारत में इलेक्ट्रिक कार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था। इस स्कीम के लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपए का निवेश करने और तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% घरेलू मूल्यवर्धन तथा पांचवें वर्ष के अंत तक 50% का घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

*****